पत्रांक 2/एम 1-96/2003-1380
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार, पटना

प्रेषक,

रामचन्द्र चौधरी,
उप-सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग ।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय,
बिहार ।

पटना, दिनांक 22.8.07

विषय:- सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों यथा सामान्य, तकनीकी, गैर-तकनीकी, व्यावसायिक आदि में नामांकन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण अधिनियम, 2003 का अनुपालन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन
ह0/(राम चन्द्र चौधरी)
उप-सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग ।

पटना विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक- Acad - 2152

पटना, दिनांक- 28/9/07

प्रतिलिपि:- (1) सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, प0वि0वि0 (2) सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय (3) सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय (4) सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय (5) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय (6) विश्वविद्यालय अभियन्ता, पटना विश्वविद्यालय (7) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय औषधालय, पटना विश्वविद्यालय (8) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय (9) कुलपति के सचिव, पटना विश्वविद्यालय एवं (10) कम्प्यूटर प्रोग्रामर, पटना विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

28/9/07
सम्पर्क पदाधिकारी-सह- उप-कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय ।

28.9.07

सतीश

(बिहार अधिनियम, 16,2003)

बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003

प्रस्तावना 1-राज्य सरकार द्वारा या तो पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों यथा सामान्य, तकनीकी, गैर-तकनीकी, व्यवसायिक आदि में नामांकन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व हेतु उपबंध करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1-(1) यह अधिनियम बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगा ।

(2) नामांकन में आरक्षण का विनियमन 1-पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जा सकेगा यथा ।

(क) खुली गुनागुण कोटि से : 50 प्रतिशत ।

(ख) आरक्षित कोटि से : 50 प्रतिशत ।

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियों, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित रूप में होगी :-

| | |
|---|---|
| (क) अनुसूचित जातियां | . . 16 प्रतिशत । |
| (ख) अनुसूचित जनजातियां | . . 1 प्रतिशत । |
| (ग) अत्यन्त पिछडा वर्ग | . . 18 प्रतिशत । |
| (घ) पिछडा वर्ग | . . 12 प्रतिशत । |
| (ङ) पिछडे वर्ग की महिलायें | . . 3 प्रतिशत । |
| कुल | . . 50 प्रतिशत । |

(3) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गण्ना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते है, खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध की जायेगी न कि आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरूद्ध ।

(4) पिछडे वर्गों की महिलाओं से अभिप्रेत है सभी आरक्षित वर्ग की महिलायें और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अत्यन्त पिछडे वर्ग तथा पिछडे वर्ग की महिलायें सम्मिलित हैं ।

(5) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिये संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत एवं उसके द्वारा समय-समय पर संशोधन आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा ।

(6) (क) संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा नामांकन हेतु निर्धारित मापदंड प्राप्तांक आदि के संबंध में निम्नतर अर्हता वाले अभ्यार्थियों को नामांकन का क्रमिक अवसर देने के बाद यदि किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं पाता है तो उस निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जायगा ।

(1) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के बीच विनियम संभव होगा ।

(2) अंत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गो के बीच विनियम संभव होगा ।

(ख) उप-धारा (6) के खंड (क) में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद यदि किसी आरक्षित वर्ग का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो पाते हैं तो उक्त रिक्तियों से उसी सत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से उसे सम्यक् रूप से अनारक्षित घोषित कर दिये जाने पर उसके विरूद्ध गैर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का नमांकन उक्त सत्र के लिये प्रशासी विभाग द्वारा कर लिया जायेगा ।

(ग) पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षित रिक्तियों के लिये योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दसा में उस रिक्तियों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा ।

(1) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से ।

(2) अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों से ।

(3) अत्यन्त पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से ।

(4) पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों से ।

(3) अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति ।- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़े वर्ग की महिलाओं का कोई सदस्य का नामांकन पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उनके अधीन बनायें गये नियमों के उपबंधों का अनुपालन नही करने से नामांकन प्रभारी पदाधिकारी के किसी कारवाई द्वारा प्रतिकुलतः प्रभावित होता हो तो वह राज्य सरकार को इस तथ्य की सूचना दे सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार, ऐसा अभिलेख मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्यवाई कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे ।

4. सद्‌भावना पुर्व की गई कारवाई के लिये किसी कार्यवाही का वर्णन कोई भी वाद,अभियोजन या अन्य विधि कार्यवाही, किसी ऐसी बात के लिये किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जायेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावना पूर्वक की गई हो या किये जाने के लिये आशायित हो ।

5. शास्ति-- यदि कोई नामांकन प्रभारी पदाधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन कर नामांकन करता हैं तो वह एक हजार रूपये तक जुर्माने या तीन महीने के कारावास या दानों से दंडनीय होगा ।

6. कठिनाइयों का निराकरण-- यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य साकार ऐसी कारवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियन के प्रावधानों से असंगत न हो, जिससे वह कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक समझे ।

7. नियम बनाने की शक्ति-- राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

परन्तु, इस धारा के अधीन बनाई गई नियमावली को बनाये जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान मंडल के हरेक सदन के समक्ष,अब वह कुल 14 दिनों के लिये सत्र में हो, रखी जायेंगी,जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकती है । जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाये, उस सत्र में उसके या बाद वाले सत्र में, दोनो सदन नियमावली में जो उपांकरण करने को सहमति हो अथवा इस बात पर सहमति हों कि

जिस नियमावली बनायी ही नहीं जानी चाहिए तो उसके बाद, वह नियमावली, यथास्थिति या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं होगी, किन्तु नियमावली के ऐसे रूपांतरण या बातिलीकरण होने से उस नियमावली के अधीन पहले किसी कार्य की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगी ।

8. अधिनियम का अध्यारोही प्रभन्त्र- । तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि तथा नियमों, न्यायालयों के लिये गये किसी निर्णय या बिक्री या निर्गत किसी आदेश,अधिसूचना परिपत्र या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात से होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे । परन्तु यह कि तत्सघ्य प्रवृत कोई विधि नियम इस अधिनियम के पूर्व वनें, निर्गत या पारित किया गया कोई आदेश या जारी किये गये अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प हो तक वे इस अधिनियम से असगत नहीं प्रभावी बने रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेगें ।

9. निरसन एंव व्यावृत्ति -- (1) एतद् संबंधी पुर्व में निर्गत ऐसे सभी आदेश । संकल्प परिपत्र आदि जो इस अधिनियम से असंगत हो, इस हद तक निरसित समझे आयेंगे ।

(2) इस अधिनियम के आरंभ के पुर्व किसी आदेश, संकल्प, परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कारवाई इस अधिनियम के अधिनियम के अधीन किया गया की गयी समझी जायगी मानो इस अधिनियम के अधीन वे लागू थे ।

9 सितम्बर 2003

संख्या एल0 जी0- 1-0412003-- लेज 185-- बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा 5 सितम्बर 2003 को अनुपात बिहार (शैक्षणिक सांस्थनों में नांमकन में) आरक्षण अधिनियम 2003 में निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है । जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड 3) के अधिन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

बिहार -राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार ।

रामपुकार/-